449

187

समक्ष राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर कैम्प रीवा म.प्र. ।

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

अवधेश प्रसाद तनय हीरालाल चतुर्वेदी उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम पहरखा तहसील मनगवां जिला रीवा म.प्र. ----- निगरानी कर्ता/आवेदक ।

विरुद्ध

म.प्र. राज्य द्वारा पटवारी हल्का पहरखा ------- अनावेदक ।

P. 2881-II/12

अधिवक्ता श्री श्रीनिवास त्रिवेदी द्वारा प्रस्तुत। रीवा, दि. 13.08.2012

13.8.12

27.8.12

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार तहसील-मनगवां जिला रीवा म.प्र., प्र.क्र.02अ5/11-12 निर्णय दिनांक 27-2-12 .

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. सन् 1959 ई. ।

महोदय,

निगरानी के आधार निम्न हैं :-

1- यहकि प्रार्थी/आवेदक/निगरानी कर्ता भूमि सर्वे नं. 155/3 रकबा 0-125 हे. स्थित ग्राम पहरखा पटवारी हल्का पहरखा तहसील मनगवां के संबंध में नक्शा तरमीम हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें दि.27-2-12 को निगरानी कर्ता की अनुपस्थिति में आदेश पारित कर दिया गया, जिसकी जानकारी अत्यधिक विलम्ब से हुई । जानकारी होने पर तहसील कार्यालय में नकल प्राप्त करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, तो तहसीलदार, ~~मनगवां~~ के द्वारा कहा गया कि प्रकरण रिकार्ड रूम रीवा भेज दिया गया, रीवा पहुँचकर नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया , जो दिनांक 7-8-12 को प्राप्त हुई, इसके बाद सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के बाद माननीय न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जा रही है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.2881-II/12 जिला–रीवा

अवधेश प्रसाद चतुर्वेदी/शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
24.05.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	